भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 205

जिसका उत्तर 29.01.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार

205. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राष्ट्रव्यापी नकदी रहित उपचार योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पात्रता, कवरेज राशि, उपचार की अवधि और सूचीबद्ध किए जाने वाले अस्पतालों की श्रेणियों सहित प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और सरकार द्वारा इस योजना को किस प्रकार वित्तपोषित और लागू किया जाएगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार मौजूदा बीमा, मोटर वाहन क्षतिपूर्ति तंत्र या आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को उक्त योजना से जोड़ने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) समय पर प्रवेश, गुणवत्ता उपचार, अस्पतालों को प्रतिपूर्ति और योजना के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुसार, सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 को का.आ. 2015 (अ), दिनांक 05.05.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, का.आ. 2489 (अ), दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से इसकी प्रक्रिया प्रवाह, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और इसके कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का विवरण देने वाले व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा, जो दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की सीमा के अधीन होगा। यह उपचार कवर उन पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा, जिनकी किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के उपयोग के कारण सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ii) प्रत्येक मोटर वाहन सड़क दुर्घटना पीड़ित, जिनको जान गंवाने का जोखिम ना हो ऐसे मामलों में 24 घंटे तक और जीवन-के जोखिम के मामलों में 48 घंटे तक निर्दिष्ट अस्पतालों में पुलिस कार्रवाई के अधीन स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा।

(iii) यह वैधानिक योजना को किसी अन्य केंद्र/राज्य स्तरीय योजनाओं की तुलना में प्राथमिकता होगी।

(iv) यह योजना दो मौजूदा प्लेटफार्मों अर्थात् पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए उपयोग की जाने वाली ईडीएआर (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) और अस्पतालों द्वारा उपचार, दावा प्रस्तुत करने और भुगतान प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की टीएमएस 2.0 (लेनदेन प्रबंधन प्रणाली) के एकीकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

(v) अस्पतालों को प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि (एमवीएएफ) के माध्यम से की जा रही है, जिसे सामान्य बीमा कंपनियों से उन मामलों में वित्त पोषित किया जाता है, जहां दुर्घटना में लिप्त मोटर वाहन बीमित है और बीमित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में बजटीय सहायता से वित्त पोषित किया जाता है।

(vi) का.आ.2489 (अ), दिनांक 04.06.2025 के अनुसार अधिसूचित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत सूचीबद्ध अस्पताल, इस योजना के प्रयोजनार्थ स्वतः ही निर्दिष्ट अस्पताल माने जाएंगे। इसके अलावा, एनएचए ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिनांक 20 मई 2025 के कार्यालय ज्ञापन एस-12018/81/2024 के माध्यम से अतिरिक्त अस्पतालों को निर्दिष्ट और ऑनबोर्डिंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ड.) यह योजना दो मौजूदा प्लेटफार्मों अर्थात् ईडीएआर और टीएमएस 2.0 के एकीकरण के माध्यम से लागू की जा रही है। दुर्घटना में लिप्त वाहन की तृतीय पक्ष बीमा स्थिति को ईडीएआर पर कैप्चर किया जाता है, क्योंकि यह वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत है।

भारत सरकार पहले से ही एक अलग हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना, 2022 को लागू कर रही है, जो 01.04.2022 से प्रभावी है। इस योजना के तहत, मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये की एक निश्चित राशि और गंभीर चोट की स्थिति में 50,000 रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जानी है। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को इस योजना के तहत परिभाषित समयबद्ध प्रक्रिया के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) एक लाभ-आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत लाभार्थियों की पहचान पहले से की जाती है। इसके विपरीत, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत एक वैधानिक रूप से अधिदेशित योजना है, जिसमें मोटर वाहन के उपयोग के कारण किसी भी श्रेणी की सड़क पर होने वाली सड़क दुर्घटना के कोई भी पीड़ित लाभार्थी हो सकते हैं।

(च) यह सुनिश्चित किया गया है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित गोल्डन ऑवर के भीतर, 112 आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएस) के साथ एकीकृत निर्दिष्ट अस्पताल पहुंचे। 112 के ऑपरेटर पीड़ित को निकटतम निर्दिष्ट अस्पताल के बारे में जानकारी देता है और यदि आवश्यक हो तो एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान करता है।

एनएचए के स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अनुसार पीड़ितों का उपचार किया जाता है। इस योजना के तहत पीड़ित को छुट्टी मिलने पर अस्पताल को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) को प्रस्तुत करना होगा।

दावे को एसएचए द्वारा सत्यापित और अनुमोदित किया जाएगा। अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एसएचए से दावा अनुमोदित होने के बाद जिला कलेक्टरों या जीआई परिषद, जैसा भी मामला हो, को भुगतान करने के लिए 10 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।

इस योजना के लिए एक पूर्ण डिजिटल ट्रेल 112 ईआरएसएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुर्घटना की रिपोर्टिंग के समय से लेकर पीड़ित के अस्पताल में दाखिल होने, उनके उपचार, पुलिस प्रमाणीकरण, दावा प्रक्रिया और अंतिम भुगतान तक मौजूद होगी।

केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से योजनाओं और नीतियों सहित कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवेदनशील बनाने के अलावा, जागरूकता पैदा करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है।
